



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018 /3847

दिनांक:-23.02.2018

-:कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
01	पश्चिम	राजस्व ग्राम चौखा लहरिया रिसॉर्ट के पास व्यवसायिक/होटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 3785.05 वर्ग मीटर पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक :- मेर्सस विनोद इन्फ्रा डब्लपर्स लि. जरिये डायरेक्टर श्री विनोद सिंघवी पुत्र श्री उम्मेदमल सिंघवी	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।</li><li>2. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।</li><li>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li><li>4. नियमानुसार मानचित्र में 38 पेड़ दर्शाये जाने अपेक्षित है।</li></ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 अनुसार प्रकरण में अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li><li>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 अनुसार प्रकरण में भूजल विभाग से अनापत्ति लिया लिया जावे।</li><li>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li><li>4. उपरोक्त बिन्दु संख्या 04 की पूर्ति हेतु मानचित्र में पेड़ दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावे।</li></ol>
02	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 40, 41 व 42 क्षेत्रफल 6418.30 वर्गमीटर (69086.16 वर्गफिट) पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के provision 3A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। आवेदक :-श्री ब्रह्मसिंह परिहार पुत्र श्री मंगल सिंह परिहार	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण में वर्तमान में ले-आउट प्लान जारी है, तथा पट्टा विलेख जारी नहीं है। पट्टा विलेख जारी किया जाना अपेक्षित है।</li></ol> <p>आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में भूखण्ड के सीमा से लगते हुए सेना का प्रतिबन्धित क्षेत्र है, उक्त के संबंध में एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 8.6 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:- "8.6 आर्मी कन्ट्रोलमेन्ट एरिया हेतु प्रावधान: रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.10.2016 को जारी गाईड लाईन्स के अनुसार रक्षा संस्थापन/स्थापना के निकट भवन निर्माण हेतु मिलट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्रलिये जाने हेतु 193 स्टेशनस को पार्ट-ए व 149 स्टेशनस को पार्ट-बी में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान राज्य के उक्त सूचियों में चिन्हित शहरों में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. पार्ट-ए में चिन्हित माउण्ट आबू, अजमेर, नसीराबाद,</li></ol>


			<p>जलीपा, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ, अलवर, भरतपुर व कोटा शहरों में रक्षा संस्थापनाओं/स्थापनाओं की बाहरी सीमा से 10 मीटर तक की दूरी में किसी भी निर्माण अथवा मरम्मत की स्वीकृति से पूर्व स्थानीय मिलेट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। रक्षा संस्थापनाओं/स्थापनाओं की बाहरी सीमा से 10 मीटर से अधिक दूरी होने पर स्थानीय मिलेट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>2. पार्ट-बी में राजस्थान राज्य की कोई रक्षा संस्थापना सम्मिलित नहीं है।”</p> <p>2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित पार्क रक्षा विभाग की 10 मीटर परिधि में आता है। अतः उपरोक्त परिपत्र में उल्लेख अनुसार "Security restriction in respect of Defence establishments / installations located at 193 stations as listed in Part A of Annexure to this circular shall apply upto 10 meters from the outer wall of such Defence establishments / installations to maintain clear line of sight for effective surveillance. Any construction or repair within such restricted zone of 10 meters will require prior No Objection Certificate (NOC) from the Local Military Authority (LMA) / Defence establishments" के कम में 10 मीटर तक की दूरी में किसी भी निर्माण अथवा मरम्मत की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में रक्षा विभाग से अनापत्ति/सक्षम स्तर में निर्णय अपेक्षित है।</p> <p>3. प्रस्तावित भवन मानचित्र में 11 पेड़, व विकलांगो हेतु 1 टायलेट दर्शाया जाना अपेक्षित है, साथ ही Plinth Height न्यूनतम 0.45 मीटर रखी जानी अपेक्षित है।</p> <p>4. वास्तुविद् से शपथ-पत्र जिया जाना अपेक्षित है।</p> <p>5. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p>7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल जन सुविधाओ हेतु भवन प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मानचित्र में कुल 125.94 वर्गमीटर क्षेत्रफल Community Hall हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो कि कुल निर्मित क्षेत्रफल 10971.41 वर्गमीटर का 1.14 प्रतिशत है।</p> <p><b>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</b></p> <p>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 के कम में निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि से लगते हुए रक्षा विभाग की भूमि से 10 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण, मरम्मत, पार्किंग, पार्क व पेड़ पौधे आदि लगाना निषेध है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्र में उक्त भूमि को खुला क्षेत्र (Open Land) दर्शाते हुए नियमानुसार भवन मानचित्र जारी किये जावे।</p> <p>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 की पूर्ति हेतु संशोधित मानचित्र लिया जावे।</p> <p>3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 04 व 05 अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लिया जावे।</p> <p>4. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा</p>
--	--	--	--

			<p>श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावें।</p> <p>5. प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार प्रार्थी द्वारा जोन/अभियांत्रिकी शाखा को DPR प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।</p> <p>6. प्रकरण में वर्तमान में पट्टा विलेख /ले-आउट प्लान जारी नहीं है, अतः पट्टा विलेख /ले-आउट प्लान जारी होने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।</p>
03	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 50 के होटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं. 06 क्षेत्रफल 728.14 वर्गगज (608.81 वर्ग मीटर) पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमति मुन्नीदेवी पत्नी श्री गौरुराम एवं श्री मति नीलम भाटी पत्नी श्री कमल किशोर भाटी</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।</li> <li>3. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लिया जावे।</li> <li>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 अनुसार प्रकरण में भूजल विभाग से अनापत्ति लिया लिया जावे।</li> <li>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावें।</li> </ol>
04	दक्षिण	<p>राजस्व बासनी बाघेला के खसरा संख्या 69/1 क्षेत्रफल 15453.55 वर्गगज (12921.14 वर्गमीटर) पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के provision 3A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स सत्कार ग्रीन फील्डस् प्रा. लि. जरीये निदेशक श्री प्रशान्त जैन।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>2. भवन में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल 20000 व.मी. से अधिक होने के कारण पर्यावरण अनापत्ति आवश्यक है।</li> <li>3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् से भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित भवन मानचित्र में नियमानुसार सौर ऊर्जा उपकरण व वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान दर्शाया जाना अपेक्षित है, साथ ही प्रस्तुत भवन मानचित्र में 130 पेड़ व विकलांगों हेतु 2 कार पार्किंग व टोयलेट दर्शाये जाने अपेक्षित है।</li> <li>6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल जन सुविधाओं हेतु भवन प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।</li> </ol>

			<p>प्रस्तुत भवन मानचित्र में कुल 12217.28 वर्गफीट क्षेत्रफल क्लब हाउस हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो कि कुल निर्मित क्षेत्रफल 464565.68 वर्गफीट का 2.63 प्रतिशत है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 अनुसार शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 18.2.1 अनुसार "5000 वर्ग मीटर से 150000 वर्ग मीटर के बीच सकल निर्मित क्षेत्रफल के भवन नक्शों के लिए पृथक रूप से कोई पर्यावरण अनुमति अपेक्षित नहीं है बशर्ते जहाँ पर्यावरण की शर्तों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए, पृथक पर्यावरण अनुमति की अनिवार्यता की अनुमति से छूट को पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया गया हो। पर्यावरण विभाग के द्वारा पंजीकृत पर्यावरण तकनीकीविज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत भवन मानचित्र में पर्यावरण विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रावधान किया गया है।" अतः प्रकरण में पंजीकृत पर्यावरण तकनीकीविज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।</li> <li>3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 अनुसार प्रकरण में अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद से भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>4. उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 अनुसार भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li> <li>5. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति पत्र लिया जावे।</li> <li>6. प्रकरण में निदेशक आयोजना मौका रिपोर्ट करे तथा मौके पर हुआ निर्माण नियमानुसार पाये जाने पर ही भवन मानचित्र जारी करे।</li> <li>7. प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार प्रार्थी द्वारा जोन/अभियांत्रिकी शाखा को DPR प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।</li> </ol>
05	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 275/1 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 4267.61 वर्गगज (3568.26 वर्गमीटर) पर व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक :- श्री जब्बर सिंह, श्री सागर सिंह वगैरहा, जोधपुर।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूखण्ड पर एकीकृत भवन विनियम-2017 के प्रावधान अनुसार भूखण्ड पर पार्श्व -1, पार्श्व-2 व पीछे की ओर 9 मीटर सेटबेक प्रस्तावित किये जाने के पश्चात भू-आच्छादन लगभग 17 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। उक्त के समबन्ध में एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 8.7 सेटबेक के उपबिन्दु (vii) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है "यदि तालिका-1 के बिंदु संख्या 1 (i) से (x) में शामिल आवासीय/वणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के भूखण्डों पर देय सेटबेक्स के कारण न्यूनतम 25 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है तो उससे निम्न श्रेणी के भूखण्ड के सेटबेक्स की सीमा तक उस भूखण्ड के सेटबेक्स (अग्र सेटबेक्स को छोड़कर अन्य) में शिथिलता दी जा सकेगी।"</li> <li>2. प्रार्थी द्वारा भूखण्ड पर पार्श्व -1, पार्श्व-2 व पीछे की ओर निम्न सेटबेक 6 मीटर प्रस्तावित कर संशोधित भवन प्रस्तुत कर सेटबेक्स में शिथिलता चाही गयी है।</li> <li>3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया</li> </ol>

			<p>में शिथिलता चाही गयी है।</p> <p>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 में कम में समिति द्वारा प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 8.7 सैटबेक: के उपबिन्दु (vii) अनुसार भूखण्ड के सैटबेक्स (अग्र सैटबेक्स को छोड़कर अन्य) में शिथिलता प्रधान करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 व 03 अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लिया जावे।</p> <p>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</p>
--	--	--	---

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(पी.आर.बेनीवाल)  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,


भवन मानचित्र समिति (बीपी)

दिनांक:- 23.02.2018

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018 13847-57

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।




निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 02/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                | अध्यक्ष    |
| 2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                   | संयोजक     |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                            | सदस्य      |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।                   | सदस्य      |
| 6. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) व (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 7. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।                 | सदस्य      |
| 8. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।                | सदस्य सचिव |



निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)